

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 37

राजस्व विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	...	11012.85	11012.85	...	15603.00	15603.00	...	16704.98	16704.98	...	11488.48	11488.48
पूँजी	...	0.21	0.21	...	106.00	106.00	...	10.00	10.00	...	56.00	56.00
जोड़	...	11013.06	11013.06	...	15709.00	15709.00	...	16714.98	16714.98	...	11544.48	11544.48
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	181.06	181.06
2. वैट स्कीम का कार्यान्वयन	2052	1.00	1.00
अन्य राजकोषीय सेवाएं												
3. प्रवर्तन निदेशालय	2047	106.38	106.38
4. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	11.69	11.69
5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2047	1.24	1.24
6. अन्य व्यय	2047	32.97	32.97
7. वस्तु और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन साधन	2047	696.69	696.69
जोड़-अन्य राजकोषीय सेवाएं	848.97	848.97
अन्य प्रशासनिक सेवाएं												
8. स्वापक नियंत्रण	2070	30.42	30.42
9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि	2070	5.92	5.92
10. विशेष अन्वेषण टीम	2070	2.33	2.33
जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	38.67	38.67
अन्य उद्योग												
11. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं एल्केलायड कारखाने	2875	0.65	0.65
12. अफीम एवं एल्केलायड कारखाने												
12.01 अफीम एवं एल्केलायड कारखाने												
12.01.01 कार्यशील व्यय	2875	261.00	261.00
12.01.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	0875	-312.70	-312.70
	कुल	-51.70	-51.70
12.02 पूंजीगत व्यय	4875	6.00	6.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- अफीम एवं एल्केलायड कारखाने	-45.70	-45.70
जोड़-अन्य उद्योग	-45.05	-45.05
अन्य												
13. राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक कल्याण संवर्धन समिति	2020	0.35	0.35
14. लोक निर्माण संबंधी पूंजीगत परिव्यय	4059	50.00	50.00
15. मूल्यवर्धित कर लागू करने तथा मूल्यवर्धित कर संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	3601	0.01	0.01
16. केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	3601	8887.46	8887.46
	3602	1582.01	1582.01
जोड़	10469.47	10469.47
जोड़-अन्य	10519.83	10519.83
सं.अ. 2015-2016												
17. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	149.31	149.31	...	175.03	175.03	...	158.86	158.86
18. मूल्य वर्धित कर योजना का कार्यान्वयन	2052	0.50	0.50
19. कर सूचना विनिमय प्रणाली का गठन	2052	...	6.34	6.34	...	0.01	0.01
20. आयकर की विदेशी इकाईयां	2052	...	6.02	6.02	...	9.74	9.74	...	8.76	8.76
अन्य राजकोषीय सेवाएं												
21. प्रवर्तन निदेशालय	2047	...	75.89	75.89	...	107.44	107.44	...	87.68	87.68
22. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	...	8.18	8.18	...	11.67	11.67	...	11.21	11.21
23. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2047	...	0.10	0.10	...	1.17	1.17	...	1.99	1.99
24. अन्य व्यय	2047	...	25.51	25.51	...	37.81	37.81	...	28.94	28.94
25. वस्तु और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन साधन	2047	...	19.26	19.26	...	292.00	292.00	...	130.00	130.00
जोड़-अन्य राजकोषीय सेवाएं	128.94	128.94	...	450.09	450.09	...	259.82	259.82
अन्य प्रशासनिक सेवाएं												
26. स्वापक नियंत्रण	2070	...	26.81	26.81	...	30.35	30.35	...	27.56	27.56
27. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि	2070	...	4.16	4.16	...	6.12	6.12	...	7.56	7.56
28. औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में अंतरण	2070	1.00	1.00
29. कर प्रशासन सुधार आयोग	2070	...	1.55	1.55	...	0.18	0.18	...	0.05	0.05
30. विशेष अन्वेषण टीम	2070	...	1.04	1.04	...	7.74	7.74	...	2.11	2.11
जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	33.56	33.56	...	45.39	45.39	...	37.28	37.28
अन्य उद्योग												

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
31. अफीम एवं एल्केलायड कारखाने												
31.01 राजस्व व्यय	2875	...	215.69	215.69	...	284.82	284.82	...	226.64	226.64
31.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0875	...	-255.94	-255.94	...	-400.43	-400.43	...	-312.70	-312.70
31.03 पूंजीगत व्यय	4875	...	0.20	0.20	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00
जोड़- अफीम एवं एल्केलायड कारखाने		...	-40.05	-40.05	...	-109.61	-109.61	...	-80.06	-80.06
32. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं एल्केलायड कारखाने	2875	...	0.61	0.61	...	0.60	0.60	...	0.87	0.87
जोड़-अन्य उद्योग		...	-39.44	-39.44	...	-109.01	-109.01	...	-79.19	-79.19
अन्य												
33. अन्य व्यय	2020	...	0.24	0.24	...	0.35	0.35	...	0.30	0.30
34. बने बनाए आवास की खरीद												
34.01 आवासीय भवन	4216	...	0.01	0.01
35. लोक निर्माण संबंधी पूंजीगत परिव्यय	4059	100.00	100.00	...	4.00	4.00
36. मूल्यवर्धित कर लागू करने तथा मूल्यवर्धित कर संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	3601	...	4.00	4.00	...	9.40	9.40	...	9.40	9.40
37. केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	3601	...	10724.08	10724.08	...	14929.00	14929.00	...	14370.60	14370.60
	3602	99.00	99.00	...	1944.65	1944.65
जोड़		...	10724.08	10724.08	...	15028.00	15028.00	...	16315.25	16315.25
जोड़-अन्य		...	10728.33	10728.33	...	15137.75	15137.75	...	16328.95	16328.95
कुल जोड़		...	11013.06	11013.06	...	15709.00	15709.00	...	16714.98	16714.98	...	11544.48 11544.48

1. **सचिवालय-सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान आयकर समुद्रपार इकाइयों, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्त आसूचना एकक-भारत, पीआर.सीसीए, सीबीडीटी; पीआर.सीसीए,सीबीईसी तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति की जव्ती) अधिनियम तथा स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी और प्रबंध समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **वैट स्कीम का कार्यालय:** मूल्य वर्धित कर (वैट) के भारी परिवर्तन के उद्देश्य से विशेष श्रेणी वाले राज्यों और नव सृजित राज्यों के संबंध में बिक्री कर विभाग की अवसंरचना के सुदृढीकरण हेतु प्रावधान किया गया है।

3. **प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफईएमए) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन के संबंध में है।

4. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एन आई पी एफ पी) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।

5. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रशान्त गुप, एगमॉट गुप और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईडीसीडी) की सदस्यता हेतु वार्षिक अंशदान के लिए है।

6. **अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति की जव्ती) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अपील अधिकरण, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अतिकरण और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णय प्राधिकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

7. **वस्तु और सेवा कर नेटवर्क:** यह प्रावधान वस्तु और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) हेतु आवर्ती अनुदान प्रदान करने के लिए है।
8. **स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और मादक द्रव्य दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से व्यय हेतु प्रावधान शामिल है।
9. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि:** यह प्रावधान मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र निधि, कर प्रशासकों के राष्ट्रमंडल संघ, सीमा शुल्क परिषद, कोलम्बो योजना ब्यूरो के औषधि परामर्शी कार्यक्रम, अन्तर अमरीकी कर प्रशासक केन्द्र (सीआईएटी), पारदर्शिता एवं सूचना विनियम संबंधी वैश्विक मंच और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के लिए है।
10. **विशेष अन्वेषण टीम:** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विशेष अन्वेषण टीम की स्थापना के लिए है।
11. **मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं एल्केलायड कारखाने:** यह प्रावधान मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा एल्केलायड कारखाना संगठनों के व्यय के लिए है।
12. **अफीम एवं एल्केलायड कारखाने:** यह अफीम उत्पाद की खरीद सहित गाजीपुर और नीमच में अफीम कारखाना एवं एल्केलायड कार्य के निवल व्यय के लिए है। केन्द्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण नियंत्रण है तथा इसे संसाधित करने के लिए पूर्ण उत्पाद को खरीद लेती है तथा औषधीय और वैज्ञानिक जरूरतों के लिए इसे बेचती है।
13. यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति के व्ययों को पूरा करने के लिए है।
14. **सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय:** यह प्रावधान नई दिल्ली में राजस्व भवन के निर्माण के लिए है।
15. **मूल्यवर्धित कर लागू करने तथा मूल्यवर्धित कर संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दो कराधान अध्ययन संस्थानों को स्थापित/उन्नयन करने के लिए है।
16. **केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को समाप्त किए जाने के कारण होने वाली राजस्व हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए है।